

कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रह में हुई 22.35% की वृद्धि

विभाग की इंटेलीजेंस की टीम ने कर चोरी रोकने के लिए ली आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस की सहायता

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

वाणिज्य कर विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 32,000 करोड़ का राजस्व संग्रह किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग ने 26,166 करोड़ का राजस्व संग्रह किया था। चालू वर्ष में पिछले साल की तुलना में 22.35 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि वाणिज्य-कर विभाग के कुल राजस्व का 75 फीसदी राशि जीएसटी से प्राप्त होता है, जबकि जीएसटी के बाहर की वस्तु जैसे- पेट्रोलियम, विद्युत शुल्क, प्रोफेशनल से 25 फीसदी राजस्व की प्राप्ति होती है। चालू वित्तीय वर्ष में जीएसटी संग्रह में भी 2.6 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं जीएसटी के बाहर के टैक्स में भी पिछले साल की तुलना में 10.47 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस वर्ष जीएसटी मद में 16,000 करोड़ राजस्व संग्रह हुआ है। यह जानकारी वाणिज्य

रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को किया गया प्रेरित

डॉ. प्रतिमा ने बताया कि करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया। रिटर्न की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से भी की जाती रही। जिस कारण से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में विवरणी दाखिल करने में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई। कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गईं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के मूल्य में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है। इसे देखते हुए पेट्रोल-डीजल पर कर लगाने की प्रक्रिया में काफी सुधार किया गया। नतीजतन इस मद में भी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है। विभाग की इंटेलीजेंस की टीम ने कर चोरी रोकने के लिए आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस की भी सहायता ली। कई कर चोरी करने वाले कारोबारियों का बैंक अट्रैच किया गया। इसका भी प्रभाव पड़ा और व्यवसायी कर देने के लिए आगे आए।

कर विभाग की आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा ने दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों तथा आर्थिक मंदी में जहां अप्रैल, मई, तथा जून में राजस्व संग्रहण में 50 से 60 फीसदी की कमी आई थी, लेकिन विभाग की पहल के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

राजस्व संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई। विभाग द्वारा करदाताओं को कोरोना के कारण हुई कठिनाइयों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। करदाताओं की सुविधा के लिए कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय का कार्य भी किया गया।